

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

ज्जायालय अप रकण्ड. अधिकारी सु सु सु

पीछसीन अधिकारी - श्री मेरा नैरका (आर. रु. एस)

डाका नं०-86/2019

1. नत्थुराम पुत्र बालुराम जाति भीजा समस्त निवामीगण
2. मुकेश कुमार पुत्र नत्थुराम जाति भीजा ग्राम अजाड़ी खुर्द
3. सीता देवी पत्नी नत्थुराम जाति भीजा तहसील बजिला सु सु सु (राजठ)

- वनाम - वादीगण

1. जसवन्त सिंह पुत्र मगन सिंह जाति भीजा समस्त
2. लडागी देवी पत्नी मगन सिंह जाति भीजा निवामीगण
3. आई डी वी आई लैफ लिमिटेड शाखा सु सु सु पारिमे
4. राजस्थान सरकार श्रमिधारी सु सु सु पारिमे तहसील बजिला सु सु सु

- प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री अमित कुमार शर्मा अधिकारी वादीगण की ओर है
2. श्री श्याम कुमार शर्मा सी. पी. राज्य-संस्कार की ओर है
3. प्रतिवादी नं. 1 से 3 के विकट एक पक्षीय कार्यवाही-

- डाका कावात लोटवारा एफ रकारा विभाजन -

निर्णय दिनांक 8/4/2022


वाड वादीगण के संक्षेप में लक्ष्य प्रकार से हेकि
वादी का वाड दिनांक 16-8-2021 को प्राथमिक रूप से
स्वीकार किया जाकर हाल रवारा नम्बर 324 नकाबा
9-58 हे० वावात तहसील बजिला सु सु सु को 500 रु रुपये -
गोका कोस पर गोका कम्पिशन निभुवन कर आदेशित
किया गया कि वह पक्षकारों को उपस्थिति में -
माननीय राजस्व मंडल द्वारा समय-समय पर जारी
परिपत्रों के अनुसार पडुंन मार्गवा एधान हे. रखते -

तारीख
हुक्म

हुए लार्ड मिस् एच आइएस विभाजन का विभाजन
 प्रस्ताव - गणपति के 15 दिवस के पेश करने हेतु
 - गणपति के आदेश क्रमांक / राजपत्र / 2021 / 496 -
 दिनांक 31-8-2021 को आदेशित किया गया। तत्पश्चात्
 चंडीगढ़ के अपने पत्र क्रमांक - राजपत्र / 2022 /
 61 दिनांक 25/1/22 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश
 किया गया। जो आठ मिनट किया जाकर विभाजन
 प्रस्ताव पर खेराज / वहां वकील वारीगण को
 भुगतान किया। वकील वारीगण ने मुलाखत विभाजन
 प्रस्ताव का वारीगण अंतिम रूप में डिप्टी कलेक्टर
 निवेदन किया गया। राजकीय अधिकारियों के भी
 अपनी भूमिका बताई है। हमने प्रस्तुत विभाजन
 प्रस्ताव व प्राथमिक निर्णय व डिप्टी दिनांक 16-8-22
 का अवलोकन करते हुए वहां वकील पक्षकारों
 पर वगैर भुगतान किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव
 गणपति के प्राथमिक निर्णय / डिप्टी के आदेश ही होगा
 जारी है। आगे गणपति गत पद का वारीगण मुलाखत
 विभाजन प्रस्ताव के आदेश अंतिम डिप्टी जारी की-
 जानी उचित व सम्बोधित प्रतीत होती है। अतः

आदेश

का वारीगण मुलाखत विभाजन प्रस्ताव अंतिम
 अंतिम रूप में डिप्टी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव
 निर्णय व डिप्टी का भाग रहेगा। तत्पश्चात् चंडीगढ़
 को आदेशित किया जाता है कि वह मुलाखत -
 विभाजन प्रस्ताव के आदेश / राजपत्र दिनांक के
 आदेश - दराज कर पालना करे। स्वयं पक्षकारों
 अपना-2 भुगतान करे। तदनुसार अपनी डिप्टी भूमिका
 है। पलायनी मसल भुगतान लेकर दर्ज न होने
 का है एव का वारीगण व तत्पश्चात् वकील पक्षकारों
 को आदेश आता दिनांक 08/4/22 को भेरे द्वारा
 लिपिलेखा जाकर सरे 2 पलायन भुगतान गया।


 08.04.22